लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1279

01 दिसम्बर, 2014 को उत्तर के लिए

लौह अयस्क की कमी

1279. श्री नारणभाई काछ़डिया:
श्री बी. श्रीरामुलु:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लौह अयस्क की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का विचार नई लौह अयस्क खानें शुरू करके इसका उत्पादन बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान और अन्य देशों में लौह अयस्क के खनन के लिए बोली लगाने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में लौह अयस्क की कमी को पूरा करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री **श्री विष्णु देव साय**

(क) : जी नहीं। देश में लौह अयस्क की समग्र रूप से कोई कमी नहीं है। देश में लौह अयस्क का उत्पादन घरेलू इस्पात उद्योग की आवश्यकता से अधिक है। कानूनी एवं विनियामक मामलों के कारण कर्नाटक और झारखण्ड जैसे राज्यों में लौह अयस्क की अस्थाई रूप से क्षेत्रीय कमी हुई है।

विगत तीन वर्षो के दौरान लौह अयस्क के उत्पादन और घरेलू खपत के ब्यौरे नीचे तालिका में दिये गये है :-

(मिलियन टन में)

वर्ष	लौह अयस्क का उत्पादन	घरेलू खपत
2011-12	168.58 (आर)	100.57
2012-13 (पी)	136.61	103.40
2013-14 (पी)	152.43	110.50 (ई)

(स्रोत : भारतीय खान ब्यूरों, खान मंत्रालय; (पी) –अनंतिम; (ई) – अनुमानित (आर)-संशोधित)

(ख) और (ग) : उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं होता। तथापि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन नई लौह अयस्क खानों को खोलने जैसे निर्णयों को वाणिज्यिक सोच विचार के आधार पर लेता है।

(घ) : इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और अफगानिस्तान सहित विदेशों में लौह अयस्क खानों के लिए बोली संबंधी निर्णय व्यक्तिगत सी.पी.एस.ई. द्वारा अपनी जरूरतों और वाणिज्यिक विवेक के आधार पर लिये जाते हैं।

(ड.) : नियंत्रण मुक्त इस्पात क्षेत्र में सरकार एक सुविधादाता की भूमिका निभाती है। घरेलू इस्पात क्षेत्र में लौह अयस्क की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लौह अयस्क पर दिनांक 30.12.2011 से यथामूल्य 30 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाकर और लौह अयस्क पैलटों पर दिनांक 27.01.2014 से यथामूल्य 5 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाकर वित्तीय उपाय किये गये हैं।

***